



2026:AHC:161940

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25949 वर्ष 2026

विकास @ चाबी
.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य
..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीपक राणा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक राणा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजय कुमार की बात सुनी गई।
- यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 618 सन् 2025, धारा 103(1) और 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि एफ.आई.आर. में किसी का नाम नहीं था, लेकिन अन्वेषण के दौरान आवेदक को तीन अन्य लोगों के साथ इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार जितेंद्र उर्फ कालू प्रत्यक्षदर्शी था और जब उसका बयान दर्ज किया गया था, तब उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि सह-अभियुक्त प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया ने गोली लगने से मृतक की हत्या की थी और उसने आवेदक और अन्य अभियुक्त, जिनमें सह-अभियुक्त हीरा अली और सचिन ठाकुर उर्फ दमारू शामिल हैं, को उकसाने का काम सौंपा था। सह-अभियुक्त सचिन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उसकी जमानत याचिका पेपर बुक के पृष्ठ 62 पर संलग्न है और आवेदक का मामला उसके मामले के समान है।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का तीन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और सभी मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे यह भी कहा कि आवेदक इस मामले में 29.10.2025 से, यानी पिछले नौ महीनों से ज्यादा समय से जेल में हैं।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध तो किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9. एफ.आई.आर. में किसी का नाम नहीं था और अन्वेषण के दौरान जितेंद्र ने स्वयं को चश्मदीद गवाह बताया। जब उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसने मृतक को चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया पर लगाया। उसके अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त, जिनमें सह-अभियुक्त सचिन ठाकुर उर्फ दमरू भी शामिल थे, मुख्य अभियुक्त प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया को उकसा रहे थे। इसलिए, आवेदक पर चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

10. इसके अलावा, सह-अभियुक्त सचिन ठाकुर उर्फ दमरू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

11. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का तीन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और यह भी दर्शाता है कि ये मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

12. इसके अलावा, आवेदक इस मामले में 29.10.2025 से जेल में है, यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से।

13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक विकास उर्फ चाबी को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, 29.10.2025 यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध तो किया, लेकिन आवेदक के विद्वान वकील द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. एफ.आई.आर. में किसी का नाम नहीं था और अन्वेषण के दौरान जितेंद्र ने स्वयं को चश्मदीद गवाह बताया। जब उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसने मृतक को चोट पहुंचाने का आरोप सह-अभियुक्त प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया पर लगाया। उसके अनुसार, आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त, जिनमें सह-अभियुक्त सचिन ठाकुर उर्फ दमरू भी शामिल थे, मुख्य अभियुक्त प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया को उकसा रहे थे। इसलिए, आवेदक पर चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

10. इसके अलावा, सह-अभियुक्त सचिन ठाकुर उर्फ दमरू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।

11. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का तीन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और यह भी दर्शाता है कि ये मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।

12. इसके अलावा, आवेदक इस मामले में 29.10.2025 से जेल में है, यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से।

13. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

15. आवेदक - **विकास उर्फ चाबी** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

4 अगस्त, 2026

एस के एम

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।